!! नियुक्ति पत्र !!

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर।

!! कार्यालय-आदेश !!

सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पत्रांक- 4/परीक्षा-12-79/2016 (खण्ड-III) आ0 7117 दिनांक - 19.12.2018 द्वारा प्रेषित चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 12/नि0 3-01/2016 (खण्ड) 4742 दिनांक - 21.12.2018 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा दिनांक - 29.12.2018 से 31.12.2018 तक जिला स्तर पर कॉउन्सलिंग की गयी। जिला स्तरीय कॉउन्सलिंग में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु जिला शिक्षा स्थापना समिति (माध्यमिक शिक्षा) की बैठक दिनांक - 03.01.2019 में लिये गये निर्णय के तहत् सशर्त्त अनुसंशित अभ्यर्थी को उनके नाम के सामने अंकित माध्यमिक विद्यालय में वेतनमान् 9300-34800/- ग्रेड पे - 4600/ सातवाँ वेतनमान् (**लेवल-7**) एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से निम्नांकित शर्त्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0	अभ्यर्थियों का नाम/पिता/पति का नाम/पता	अनुक्रमांक	विषय	कोटि	प्रखण्ड का नाम	पदस्थापित माध्यमिक विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	NELSHAN MARANDI S/O- ANANT LAL MARANDI, VILL- MALODIH, PO-SAGARBHANGA, PS- CITRA, DEOGHAR, JHARKHAND, 814146	16140175497	SANTHALI	ST	Palojori	UHS, KOIRIJAMUWA
2	STELLA HEMBROM W/O- PREMCHAND KISKU, VILL- SAGRAJOR, PO-SAGRAJOR, PS- PALAJORI, DEOGHAR, JHARKHAND, 814146	30114274184	SANTHALI	ST	Sonaraithari	UHS, MAGDIHA
3	SUNITA HANSDA, W/O- RAMESH MARANDI, VILL- ALAMPUR, PO-KARON, PS- KARON, DEOGHAR, JHARKHAND, 815357	16112164038	SANTHALI	ST	Mohanpur	UHS, BANKA
4	BHARATI SOREN W/O- BISHWANATH MARANDI, VILL- RANGATAR, PO- SONARAYTHARHI, PS-MAGDIHA, DEOGHAR, JHARKHAND, 814150	15127163181	SANTHALI	ST	Karon	UHS, JORAMOW

शर्त्त

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा 02 वर्ष की परीक्ष्यमान अवधि होगी। तदोपरान्त संतोषप्रद सेवा पायी जाने पर सेवा संपुष्टि पर विचार किया जायेगा।

42
09.01.19

2. नियुक्त अभ्यर्थी को पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान पदस्थापित विद्यालय में समर्पित करना होगा अन्यथा युक्तियुक्त कारण नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा कॉउन्सलिंग के दौरान समर्पित किये गये कागजातों एवं विभागीय अनुशंसा के आधार पर किया जा रहा है।

4. जाँचोपरान्त यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी बी०एड० मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हैं तो उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त करते हुए उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन०सी०टी०ई०) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन०सी०टी०ई०) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 के पूर्व के मामलों में संबंधित राज्य सरकार अथवा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

5. आरक्षित वर्ग में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों का झारखण्ड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। जाँचोपरान्त अगर यह पाया जाता है कि आरक्षित वर्ग में नियुक्त अभ्यर्थी झारखण्ड राज्य का निवासी नहीं हैं तो उनकी सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

6. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों की जाँच संबंधित बोर्ड/संस्था से कराये जाने पर अगर उनका कोई भी प्रमाण-पत्र/कागजात जाली पाया जाता है तो बिना किसी सूचना के उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

7. योगदान के समय मुख्य असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् उनका योगदान स्वीकृत हो सकेगा।

8. योगदान के समय अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे किसी मुकदमे में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किये गये हैं तथा उनके विरूद्ध ऐसा कोई भी मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन/लंबित नहीं है।

9. विद्यालय के अवकाश के दिनों में भी नवनियुक्त शिक्षक/शिक्षिका को विभागीय प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा तथा उनकी प्रशिक्षण में सहभागिता अनिवार्य होगी।

10. इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरीयता झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

11. योगदान के समय अभ्यर्थी (अविवाहित) को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे शादी के समय न तो दहेज लेंगे और न दहेज देंगे।

12. योगदान के समय प्रत्येक नवनियुक्त शिक्षक/शिक्षिका अपना स्वहस्ताक्षरित तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति पदस्थापित विद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।

13. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक दो माह के अन्दर नवनियुक्त शिक्षक/शिक्षिका द्वारा समर्पित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/आवासीय/जाति प्रमाण-पत्र एवं नियुक्ति पत्र का सत्यापन संबंधित बोर्ड/संस्थान/कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. योगदान के लिए कोई मार्ग व्यय/ यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

15. अभ्यर्थी योगदान देने से पूर्व उक्त सभी निदेशों/शर्त्तों की जानकारी लेते हुए सुनिश्चित हो लेंगे कि वे सभी निदेशों/शर्त्तों को पूरा करते हैं तथा तत्पश्चात् ही योगदान देंगे अन्यथा किसी शर्त्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में वे स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा उनकी नियुक्ति विना किसी कारण पृच्छा के समाप्त की जा सकती है।

9/1/19

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
देवघर।

09.01.19 9-1-19

42.
09.01.19

ज्ञापांक . . 42 . . ./देवघर, दिनांक : 09.01.2019

प्रतिलिपि :- संबंधित नवनियुक्त शिक्षक/शिक्षिका/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, देवघर/ कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ उप कोषागार पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/01/19

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
देवघर।

ज्ञापांक : . . 42 . . . ./देवघर, दिनांक : 09.01.2019

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संताल परगना प्रमण्डल, दुमका/उपायुक्त, देवघर एवं निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

09/01/19

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
देवघर।